## **NOTE FOR PAD**

Haryana Government is committed to providing safe and secure environment to all citizens of Haryana especially women. State Government and Haryana Police have taken various measures to address this issue, including constitution of Sexual Harassment Committee at workplace. We have provided platform for women by opening Women Police Stations in every district of Haryana and Women Help Desk in every Police Station (Proposal for 150 remaining Police Stations under process), so that women can report their grievances without feeling any harassment/embarrassment. Total number of Women Police Stations in Haryana is 33 and Total number of Women Help Desks is 239.

Few incidents of sexual harassment of Women players/coaches have come up in the last few years and the same have been handled with a stern hand. Local Police authorities have taken effective and immediate legal action against the accused.

During the period from the 01.01.2019 to 11.12.2023, total 24 cases of Sexual Harassment of women players and coaches came into notice of local police authorities. Out of which, Charge sheet in 17 cases has been put in the court against the accused persons. 01 case is under investigation and 06 cases have been cancelled wherein no evidence found during the investigation. In the 04 cases accused have been acquitted by court because the charges framed against them could not be proven. Further, in the report submitted by Director, Prosecution, Haryana in the case FIR No. 391 dated 08.10.2021 registered against Sh. Akhilesh Dev, Assistant District Attorney, Sirsa, a preliminary enquiry was entrusted to the District Attorney, Gurugram. District Attorney Gurugram has submitted the preliminary enquiry report which was examined by their department and observation made that

the matter has not been examined properly and detailed facts have not been provided. Therefore, Director Prosecution, Haryana has directed District Attorney, Gurugram to re-enquire and the report is still awaited. In the context of case FIR No. 17, dated 19.01.2023, the accused Mr. Rajesh, Athletic Coach, Bhiwani is the employee of Sports Department, Haryana. As the case registered against him was cancelled by the police on 15.04.2023, no departmental action has been taken against him by the Sports Department, Haryana.

A complaint received from Sh. Sandeep Singh, the then Minister of State, Sports & Youth Affairs, Haryana; a committee headed by Ms. Mamta Singh, IPS, the then ADGP, Rohtak Range, Rohtak with Sh. Sumer Partap Singh, IPS, DCP, Panchkula and Sh. Raj Kumar Kaushik, HPS, the then ACP, Panchkula as its members was constituted vide DGP/Haryana office order No. 1951-53/PS/DGP-(H) dated 29.12.2022.

Subsequently, the committee submitted its report to the DGP/Haryana vide ADGP, Rohtak Range, Rohtak office memo no. 40/Reader dated 25.01.2023. The said report has further been submitted to the Addl. Chief Secretary, Govt. of Haryana, Home Deptt. vide DGP/Haryana office memo no. 018/SPL Cell-I dated 25.01.2023. Subsequently, the State Government forwarded the said report to Chandigarh Police along with all supporting documents. Accordingly, the file (in original) along with 2 pen drives was sent to the Chandigarh Police vide office memo no. 1962/Spl. Cel-1 dated 21.02.2023

In the context of FIR registered against Sh. Sandeep Singh, the then Sports Minister, Haryana, as per report of SSP/UT, Chandigarh, a case FIR No. 168 dated 31.12.2022 u/s 354, 354A, 354B, 342, 506 IPC added 509 IPC, was registered in Police Station, Sector-26, Chandigarh against Sh.

Sandeep Singh. The above said case was investigated by Special Investigation Team (SIT) constituted for the purpose. During investigation, final report U/s 173 Cr PC has already been put up by the SIT in the Hon'ble Court on 25.08.2023 for judicial verdict.

## नोट पैड

हरियाणा सरकार, हरियाणा के सभी नागरिकों विशेषकर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार और हरियाणा पुलिस ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न समिति के गठन सहित कई उपाय किए हैं। हरियाणा के हर जिले में महिला पुलिस स्टेशन और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क (शेष 150 पुलिस स्टेशनों का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन) खोलकर महिलाओं के लिए मंच प्रदान किया है ताकि महिलाएं बिना किसी उत्पीड़न/शर्मिंदगी महसूस किए बिना अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। हरियाणा में महिला पुलिस स्टेशनों की कुल संख्या 33 है और महिला सहायता डेस्क की कुल संख्या 239 है।

पिछले कुछ वर्षों में महिला खिलाड़ियों/कोचों के यौन उत्पीड़न की कुछ घटनाएं सामने आई हैं और उनसे सख्ती से निपटा गया है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ प्रभावी और तत्काल कानूनी कार्रवाई की है।

दिनांक 01.01.2019 से 11.12.2023 तक की अवधि के दौरान, महिला खिलाड़ियों और कोचों के यौन उत्पीड़न के कुल 24 अभियोग स्थानीय पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आए हैं। जिनमें से 17 अभियोगों में अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए गये है, 01 अभियोग की जांच चल रही है और 06 अभियोगों में जांच के दौरान कोई साक्ष्य नही मिलने के कारण रद्द कर दिए गए हैं। 04 अभियोगों में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप साबित नहीं होने के कारण माननीय अदालत द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया है। निदेशक अभियोजन, हरियाणा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री अखिलेश देव, सहायक जिला न्यायवादी, सिरसा के खिलाफ अभियोग संख्या-391 दिनांक 08.10.2021 दर्ज हुआ था और विभाग ने उनके खिलाफ प्रारम्भिक जांच आरम्भ करके जिला न्यायवादी, गुरग्राम को सौंपी गई थी। सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि मामलें की जांच उचित प्रकार से नहीं की गई और ना ही विस्तृत तथ्य प्रस्तुत किये गये। इसलिये निदेशक अभियोजन विभाग हरियाणा द्वारा पुनः जांच करने के लिये जिला न्यायवादी गुरूग्राम को निर्देश दिये गये। जांच की रिपोर्ट लम्बित है। अभियोग संख्या-17 दिनांक 19.01.2023 के सन्दर्भ में आरोपी श्री राजेश एथलेटिक कोच भिवानी जो खेल विभाग, हरियाणा का कर्मचारी है। दिनांक 15.04.2023 को पुलिस द्वारा अभियोग संख्या-17 को रद्द कर दिया गया था, खेल विभाग, हरियाणा द्वारा उनके खिलाफ कोई भी विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।

श्री संदीप सिंह, तत्कालीन राज्य मंत्री, खेल एवं युवा मामले हरियाणा से शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस महानिदेशक, हरियाणा कार्यालय के आदेश क्रमांक 1951-53/पीएस/डीजीपी-(एच) दिनांक 29.12.2022 के अनुसार श्रीमति ममता सिंह, भा0पु0से0, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,

रोहतक रेंज, रोहतक की अध्यक्षता में श्री सुमेर प्रताप सिंह, भा0पु0से0, पुलिस उपायुक्त, पंचकूला और श्री राज कुमार कौशिक, ह0पु0से0, तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त, पंचकुला को सिमिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया।

इसके बाद, उपरोक्त समिति ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रोहतक रेंज, रोहतक, के कार्यालय के पत्र क्रमांक-40/रीडर दिनांक 25.01.2023 के अनुसार रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को प्रस्तुत की गई। पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के कार्यालय के पत्र क्रमांक-018/एस0पी0एल0 सैल-1 दिनांक 25.01.2023 के अनुसार रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग को भेज दी गई। इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट सभी सहायक दस्तावेजों सहित (मूल रूप में) चण्डीगढ़ पुलिस को प्रेषित की गई। तदानुसार फाईल दो पैन ड्राइव सहित पत्र क्रमांक-1962/एस0पी0एल0-सैल-1 दिनांक 21.02.2023 के अनुसार चंडीगढ़ पुलिस को भेजी गई।

प्रवर पुलिस अधीक्षक चण्डीगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार श्री संदीप सिंह तत्कालीन खेल मन्त्री, हिरियाणा के खिलाफ, अभियोग संख्या-168 दिनांक 31.12.2022 धारा 354, 354ए, 354बी, 342, 506 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सैक्टर-26, चण्डीगढ में दर्ज किया गया व अभियोग में धारा 509 भा0द0स0 जोड़ी गई। उपरोक्त अभियोग का अनुसंधान एक विशेष अनुसंधान टीम के द्वारा अमल मे लाया गया। दौराने तफतीश विशेष अनुसंधान टीम द्वारा अभियोग की अन्तिम रिपोर्ट धारा 173 द0प्र0स0 के तहत दिनांक 25.08.2023 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है।